न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या : 2022/155

प्रकरण संख्या : 96/22

अनवान

श्रीमती गुणमाला **बनाम** राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी भीण्डर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :– दिनांक :– 15.02.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की साबिक खसरा नंबर 2698/1, 2695/2, 2704/2 श.न. 2693, 2694, 2697, 2700 किता 3 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम सामलाती खातेदारी में दर्ज थी जिसके नवीन भू–प्रबंधन के बाद साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम मौके अनुसार नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई जिसे पुराने नक्शे अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जो इस प्रकार है कि ग्राम भीण्डर की जामबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 1530 पर खसरा नंबर 2695/2 रकबा 0–03, ख.न. 2698/1 रकबा 2–12, ख.न. 2704/2 श.न. 2693, 2694, 2697, 2700 रकबा 1–03 कुल किता 03 रकबा 3–18 बीघा भूमि एक चक होकर वादी के नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज थी जिसका नवीन भू–प्रबंध रिकार्ड में वर्तमान जमाबंदी 2078–81 में खाता संख्या 1663 पर खसरा न. 7289 रकबा 0.16, 7291 रकबा 0.03, 7292 रकबा 0.05, 7293 रकबा 0.10, 7294 रकबा 0.40, 7295 रकबा 0.02, 7297 रकबा 0.08 कुल किता 7 रकबा 0.84 है. खातेदार आशीष पुत्र बसंतीलाल 1/6 गुणमाला पत्नि बसंतीलाल 1/6 दिलीपकुमार जेतावत पुत्र शान्तिलाल 1/12 सरिता जैन पुत्र शान्तिलाल 1/12 प्रेमबाई पत्नि शान्तिलाल 1/12 राजुल पुत्र शान्तिलाल 1/12 बाबूलाल पुत्र गोरधन 1/3 दर्ज होकर साबिक के मुकाबले सही दर्ज किया गया है।

3. यह कि वादी के वर्तमान खाते में दर्ज किता 7 रकबा 0.84 मौके तथा साबिक नक्शे अनुसार

न होकर मौके पर उक्त नंबरों में से कुछ खसरे पडोसी खातेदारों के अंदर दर्ज कर दिए गए जिनमें पूर्व से ही कोलोनी बसावट हो चुकी है तथा पडोसी खातेदारों के नंबर वादी के खाते में दर्ज कर दिए गए जो की मौके पर काबिज तथा साबिक नक्शे दोनों के अनुसार ही गलत है।

4. यह कि वर्तमान नक्शे व साबिक नक्शे तथा जमाबंदी अनुसार मौके पर काबिज खातेदारों की जांच करने पर पाया की कुछ खसरो का परिमाप हाल नक्शे में कम और ज्यादा दर्ज किया गया है जिसके कारण खातेदारों को जमाबंदी अनुसार प्राप्त रकबा नहीं मिल पा रहा है। अतः हाल नक्शे में खसरा 7290 रकबा 0.20 को संशोधन किया जाकर 0.27 है. खसरा नंबर 7294 रकबा 0.40 को संशोधन किया जाकर 0.37 है., खसरा नंबर 7297 रकबा 0.08 को संशोधन किया जाकर 0.04 है. दर्ज किया जाना उचित है।

5. वर्तमान जमाबंदी के उपरोक्त खसरा नंबरान का रकबा परिवर्तन पश्चात निम्नानुसार परिवर्तन किया जाना अपेक्षित बताया।

खाता संख्या	वर्तमान इन्द्राज			प्रस्तावित इन्द्राज		
	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा
721	अनामिका पत्नि राजेन्द्र 827/25581 जाति चौबीसा जया पत्नि गोपाललाल 860/ 25581 जाति वैष्णव नवरतन पुत्र मांगीलाल दक 6331/25581 जाति जैन नीतुरानी पत्नि रविन्द्र कुमार 2909/ 25581 जाति चौबीसा रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ पंड्या 6331/25581 जाति ब्राह्मण विनायक पुत्र रविन्द्र कुमार 1100/ 25581जाति चौबीसा शांताबाई पत्नि शांतिलाल 892/25581 जाति चौबीसा सुशील पुत्र मीठालाल 6331/25581 जाति जैन सा. देह खातेदार	8729/7293 किता 1	0.24 0.24	आशीष पुत्र बसंतीलाल 1/6 महाजन गुणमाला पत्नि बसंतीलाल 1/6 महाजन बाबूलाल पुत्र गोरधनलाल 1/3 महाजन दिलीपकुमार जेतावत पुत्र शान्तिलाल 1/12 महाजन प्रेमबाई पत्नि शान्तिलाल 1/12 महाजन राजुल पुत्री शान्तिलाल 1/12 महाजन सरिता जैन पुत्री शान्तिलाल 1/12 महाजन सा. देह	8729/7293 7291 7292 7293 7294 7296/2 7297 किता 7	0.24 0.03 0.05 0.10 0.37 0.01 0.04 0.84

	आशा पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी कन्हैयालाल पुत्र राधावल्लभ 1/20 चौबीसा जगदीशप्रसाद पुत्र भेरूलाल 1/30 सोनी प्रमिला पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन बेबी पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन भरत पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी मुरलीमनोहर पुत्र बद्रीप्रसाद 1/30 वैष्णव रतनलाल पुत्र उंकारलाल 1/20 सोनी रतनलाल पुत्र उंकार 1/100 सोनी रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीलाल 1/30 चौबीसा रिषभकुमार पुत्र बालुलाल 3/20 महाजन लीला पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन स्नेहलता पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन हेमन्तकुमार पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी हेमलता पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी सा. देह खातेदार	7296	0.02	आशा पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी कन्हैयालाल पुत्र राधावल्लभ 1/20 चौबीसा जगदीशप्रसाद पुत्र भेरूलाल 1/30 सोनी प्रमिला पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन बेबी पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन भरत पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी मुरलीमनोहर पुत्र बद्रीप्रसाद 1/30 वैष्णव रतनलाल पुत्र उंकारलाल 1/20 सोनी रतनलाल पुत्र उंकार 1/100 सोनी रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीलाल 1/30 चौबीसा रिषभकुमार पुत्र बालुलाल 3/20 महाजन लीला पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन स्नेहलता पुत्री बालुलाल 3/20 महाजन हेमन्तकुमार पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी हेमलता पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी सा. देह खातेदार	7295 7296/1	0.02 0.01
		किता 1	**0.02**		**किता 2**	**0.03**
720	आशा पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी उंकारलाल उर्फ भगवतीलाल पुत्र गोरधनलाल 1/28 ब्राह्मण कन्हैयालाल पुत्र राधावल्लभ 1/20 चौबीसा गंगाबाई पत्नि खेमराज दवे 3/56 ब्राह्मण गायत्रीदेवी पत्नि राधेश्याम 3/56 ब्राह्मण गीतांजली पत्नि आशीषबंधु	7287 7288 7290 **किता 3**	0.09 0.09 0.20 **0.38**	अनामिका पत्नि गजेन्द्र 827/25581 जाति चौबीसा जया पत्नि गोपाललाल 860/25581 जाति वैष्णव नवरतन पुत्र मांगीलाल दक 6331/25581 जाति जैन नीतुरानी पत्नि रविन्द्रकुमार 2909/25581 जाति चौबीसा रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ पंड्या 6331/25581जाति ब्राह्मण विनायक पुत्र रविन्द्रकुमार 1100/25581जाति चौबीसा शांताबाई पत्नि शांतिलाल 892/25581 जाति चौबीसा सुशील पुत्र मीठालाल	7290/2 7289/2 **किता 3**	0.10 0.13 **0.23**

129/896 जगदीशलाल पुत्र भैरूलाल 1/30 सोनी नवरतन पुत्र मागीलाल दक 55/1344 जैन पूजा पत्नि दर्शनबंधु 129/896 भगवतीदेवी पत्नि भूपेंद्रकुमार उर्फ भगवतीलाल कडुवावत 3/56 ब्राह्मण भरत पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी मुरलीमनोहर पुत्र बद्रीप्रसाद 1/30 वैष्णव रतनलाल पुत्र उंकारलाल 1/20 सोनी रतनलाल पुत्र उंकारलाल 1/28 सोनी रतनलाल पुत्र उंकार 1/100 सोनी रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीलाल 1/30 चौबीसा रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ पंड्या 55/1344 ब्राह्मण श्यामसुन्दर पुत्र हिम्मतराम 3/56 ब्राह्मण सुशील पुत्र मीठालाल 55/1344 महाजन सोहनलाल पुत्र रतनलाल 3/56 ब्राह्मण हेमन्तकुमार पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी हेमलता पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी सा. देह खानेदार			6331/25581 आर्ति जैन सा. देह खानेदार		
...प पुत्र बसंतीलाल 1/6 महाजन गुणमाला पत्नि बसंतीलाल 1/6 महाजन बाबूलाल पुत्र गोरधनलाल 1/3 महाजन दिलीपकुमार जैतावत पुत्र शान्तिलाल 1/12 महाजन प्रेमबाई पत्नि शान्तिलाल 1/12 महाजन राजुल पुत्री शान्तिलाल 1/12 महाजन सरिता जैन पुत्री शान्तिलाल 1/12 महाजन सा. देह	7289 7291 7292 7293 7294 7295 7297	0.16 0.03 0.05 0.10 0.40 0.02 0.08	आशा पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी उंकारलाल उर्फ भगवतीलाल पुत्र गोरधनलाल 1/28 ब्राह्मण कन्हैयालाल पुत्र राधावल्लभ 1/20 चौबीसा गंगाबाई पत्नि खेमराज दर्जी 3/56 ब्राह्मण गायत्रीदेवी पत्नि राधेश्याम 3/56 ब्राह्मण गीतांजली पत्नि आशीषबंधु 129/896 जगदीशलाल पुत्र भैरूलाल 1/30 सोनी नवरतन पुत्र	7287 7288 7289/1 7290/1	0.09 0.09 0.03 0.17
	किता 7	0.84		किता 5	0.38

			पांगीलाल दक 55/1344 जैन पूजा पत्नि दर्शनबधु 129/896 भगवतीदेवी पत्नि भुपेंद्रकुमार उर्फ भागवतीलाल कड्यावत 3/56 ब्राह्मण भरत पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी मुरलीमनोहर पुत्र बद्रीप्रसाद 1/30 वैष्णव रतनलाल पुत्र ऊंकारलाल 1/20 सोनी रतनलाल पुत्र ऊंकारलाल 1/28 सोनी रतनलाल पुत्र ऊंकार 1/100 सोनी रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीलाल 1/30 चौबीसा रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ पंड्या 55/1344 ब्राह्मण श्यामसुन्दर पुत्र हिम्मतराम 3/56 ब्राह्मण सुशील पुत्र मीठालाल 55/1344 महाजन मोहनलाल पुत्र रतनलाल 3/56 ब्राह्मण हेमन्तकुमार पुत्र रतनलाल 1/100 सोनी हेमलता पुत्री रतनलाल 1/100 सोनी सा. देह खातेदार		
कुल योग		**1.48**	**कुल योग**		**1.48**

6. प्रकरण में प्रभावित खातेदारों को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रभावित खातेदारों में से हेमन्त कुमार सोनी की तरफ से अधिवक्ता श्री राजमल मेनारिया द्वारा वकालत पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा साबिक आराजी नम्बर 2698/1, 2699/1, 2698/2, 2704/2, 2695/2 जिनके नवीन सेटलमेंट के आराजी नम्बर 7294, 7291, 7289, 7292, 7293, 7295, 7297, 8729/7293 बाबत् तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें हम विपक्षी के नाम खाता संख्या 720 आ. न. 7287, 7288, 7290 दर्ज की गई है जो नक्शे में गलत तरमीम की गई है जबकि आ. न. 7295 एवं 7289 वाली जमीन जो वर्तमान नक्शे में अन्य के नाम दर्शा रखी है जबकि वह भूमि ही विपक्षीगण की भूमि है जिस पर विपक्षीगण काबिज है। आ. न. 2699/1, 2695/2 किता 2 रकबा पौने दो बीघा भूमि क्रय की तथा उसका भूमि रूपान्तरण कर पट्टा प्राप्त किया। विपक्षीगण की भूमि अभी वर्तमान आ. न. 7295, 7289 पर स्थित है। उक्त आराजी अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर दी गई जिसे मौके अनुसार पुनः तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

7. विपक्षीगण के जवाब पर प्रार्थीया द्वारा जवाब उल जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान में उनके नाम खाता संख्या 720 के आ. न. 7287, 7288, 7289 दर्ज की गयी जिसकी तरमीम को गलत बताया तथा स्वयं का कब्जा आ. न. 7295, 7289 वाली भूमि पर बताया है जबकि साबिक व हाल रेकर्ड के निरिक्षण से तथा तहसीलदार भीण्डर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विपक्षी

रतनलाल सांनी वगैरह द्वारा साविक आ. न. 2699/1 रकबा 1–15 बीघा एवं 2695/2 रकबा 0–02 बीघा में से भूमि क्रय की गयी थी जिसको विपक्षी द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया है जिसका नामांतरण दायर किया जाकर जमाबन्दी में खाता दर्ज चला आ रहा है तथा गत जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 915 व 916 में भी खाता विपक्षीगण के नाम दर्ज है तथा उसी अनुसार आ. न. 2699/1 व 2695/2 के नवीन आराजी नम्बरों में भू–प्रबंध विभाग द्वारा विपक्षीगणों का खाता कायम किया गया है जिसमें कुछ संशोधन होने से तहसीलदार भीण्डर द्वारा साविक व हाल रेकर्ड का मिलान अनुसार सही रेकर्ड दर्ज किया जाकर प्रस्तावित किया है जिसमें विपक्षीगण के रेकर्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। विपक्षी द्वारा स्वयं की भूमि आ. न. 7295, 7289 में होना बताया जबकि विपक्षी द्वारा जिन साविक आ. नम्बरों 2695/2, 2699/1 की भूमि क्रय की गयी है उनके बने नवीन आ. नम्बरों में ही तहसीलदार भीण्डर द्वारा विपक्षीगणों का खाता कायम किया गया है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मौके अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया के कथानानुसार साविक खसरा नंबर 2698/1, 2695/2, 2704/2 श.न. 2693, 2694, 2697, 2700 किता 3 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम सामलाती खातेदारी में दर्ज थी जिसके नवीन भू–प्रबंधन के बाद साविक नक्शा ट्रेस के मुकाबले नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम मौके अनुसार नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई जिसे पुराने नक्शे अनुसार शुद्व किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि ग्राम भीण्डर की जामबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 1530 पर खसरा नंबर 2695/2 रकबा 0–03, ख.न. 2698/1 रकबा 2–12, ख.न. 2704/2 श.न. 2693, 2694, 2697, 2700 रकबा 1–03 कुल किता 03 रकबा 3–18 बीघा भूमि एक चक होकर प्रार्थी के नाम सामलाती खातेदारी में दर्ज थी जिसका नवीन भू–प्रबंध के बाद खाता संख्या नया 1663 पर खसरा न. 7289, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7297 कुल किता 7 रकबा 0.84 हे. खातेदार आशीष पुत्र बसंतीलाल 1/6 गुणमाला पत्नि बसंतीलाल 1/6 दिलीपकुमार जेतावत पुत्र शान्तिलाल 1/12 सरिता जैन पुत्र शान्तिलाल 1/12 प्रेमबाई पत्नि शान्तिलाल 1/12 राजुल पुत्र शान्तिलाल 1/12 बाबूलाल पुत्र गोरधन 1/3 दर्ज होकर साविक के मुकाबले सही दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में आराजी नंबर 7295 व 7289 प्रार्थीया के उपयोग व कब्जे में नहीं होना बताया उक्त दोनो आराजी पर पश्चिम दिशा की तरफ वाले खातेदारान के कब्जे में होकर मकान आदि बना हुआ बताया। प्रार्थीया का

आराजी नंबर 8729/7293 सम्पूर्ण तथा 7296 के आधे हिस्से का उपयोग व कब्जे में होना बताया किन्तु उक्त दोनो आराजी प्रार्थीया के खाते में दर्ज ना होकर पश्चिम तरफ के खातेदार के नाम दर्ज होना बताया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में पश्चिम तरफ की भूमि के आराजी नंबर 7287, 7288, 7290 आदि के खातेदारो के नंबर व कब्जा प्रार्थीया के नंबरों के साथ परिवर्तन होना बताया तथा मौके पर उक्त खातेदारों का 50 वर्षो पुर्व से ही आपसी सहमती विभाजन अनुसार मौके पर काबिज होना बताया। रिपोर्ट में वर्तमान नक्शे में दर्ज आराजी नंबर 7290, 7294, 7297 को परिमाप अनुसार दर्ज नहीं होने से खसरा नंबर 7290 का रकबा 0.20 के बजाय 0.27 हैक्टेयर 7294 का रकबा 0.40 के बजाय 0.37 हैक्टेयर, 7297 का रकबा 0.08 के बजाय 0.04 दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर उसी अनुसार तरमीम किये जाने की अनुशंषा की। प्रकरण में खाता संख्या नया 721 के खातेदार श्री सुशील पुत्र मीठालाल जैन व नवरतन पुत्र मांगीलाल दक, खाता संख्या नया 1495 के खातेदार रीषभकुमार पुत्र बाबुलाल महाजन, खाता संख्या नया 720 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र जगनाथ द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर खसरो को पुराने रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान जमाबंदी में खातेदारों के नाम परिवर्तन व रिकॉर्ड को शुद्व किये जाने पर कोई आपत्ति नही जताई। शेष प्रभावित खातेदारों द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया । प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा वर्तमान में उनके नाम खाता संख्या 720 के आ. न. 7287, 7288, 7289 दर्ज की गयी जिसकी तरमीम को गलत बताया तथा स्वयं का कब्जा आ. न. 7295, 7289 वाली भूमि पर बताया है। इस पर प्रार्थीया द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर बताया कि विपक्षी रतनलाल सोनी वगैरह द्वारा साबिक आ. न. 2699/1 रकबा 1—15 बीघा एवं 2695/2 रकबा 0—02 बीघा में से भूमि क्रय की गयी थी जिसको विपक्षी द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया है जिसका नामांतरण दायर किया जाकर जमाबन्दी में खाता दर्ज चला आ रहा है तथा गत जमाबंदी संवत् 2068—71 के खाता संख्या 915 व 916 में भी खाता विपक्षीगण के नाम दर्ज है तथा उसी अनुसार आ. न. 2699/1 व 2695/2 के नवीन आराजी नम्बरों में भू—प्रबंध विभाग द्वारा विपक्षीगणों का खाता कायम किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट व मिलान खसरा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा साबिक आ. न. 2699/1, 2695/2 भूमि क्रय की है जिसको नवीन भू—प्रबंध विभाग द्वारा नये नंबर 7287, 7288, 7289 बनाये गये है जिसमें नवीन सेंटलमेंट विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

9. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व विपक्षी द्वारा पेश जवाब का अध्ययन किया। हमने पाया कि राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 721, 1495, 720, 1663 में नवीन भू प्रबंधन के बाद रकबे व तरमीम मे साबिक नक्शा

ट्रेस अनुसार परिवर्तन हो गया है। तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का द्वारा मौके अनु अपनी जांच रिपोर्ट में खाता संख्या नया 1663 में खसरा नंबर 7291 रकबा 0.03 है., 729 रकबा 0.05 है., 7293 रकबा 0.10 है., 7294 रकबा 0.37 है., 7296/2 रकबा 0.01 है., 729 रकबा 0.04 है., 8729/7293 रकबा 0.24 है. किता 7 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया व सह खातेदारो के नाम व खाता संख्या नया 1495 के खातेदार रीषभकुमार पुत्र बाबूला महाजन व अन्य सह खातेदारो के नाम खसरा नंबर 7295 रकबा 0.02, 7296/1 रकबा 0.01 किता 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 720 के खातेदार आशा पुत्री रतनलाल व अन्य सह खातेदारों के नाम खसरा नंबर 7287 रकबा 0.09, 7288 रकबा 0.0900, 7289/1 रकबा 0.03, 7290/1 रकबा 0.17 किता 4 रकबा 0.38 हैक्टेयर दर्ज किये जाने तथा खाता संख्या नया 721 के खातेदार अनामिका पत्नि राजेन्द्र व अन्य सह खातेदारो के नाम खसरा नंबर 7290/2 रकबा 0.10, 7289/2 रकबा 0.13 किता 2 रकबा 0.23 हैक्टेयर दर्ज कि जाने की अनुशंषा की। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारीयों को भू-प्रबंधन विभाग द्वारा कि गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल की अपील/एल.आर./6933/2011 उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(12) राज 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिससे भू-प्रबंधन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेज, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरुप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमांबदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 721, 1495, 720, 1663 में भू-प्रबंधन के बाद हुई त्रुटि को मौके अनुसार पुनः समायोजित व संशोधित किया जाकर आराजी नंबर 8729/7293 रकबा 0.24 है., 7291 रकबा 0.03 है., 7292 रकबा 0.05 है., 7293 रकबा 0.10 है., 7294 रकबा 0.37 है., 7296/2 रकबा 0.01 है., 7297 रकबा 0.04 है. कुल किता 07 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या नया 1663 में अंकित खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करने, आराजी नंबर 7295 रकबा 0.02 है., 7296/1 रकबा 0.01 है. कुल किता 02 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 1495 में अंकित खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करने, आराजी नंबर 7287 रकबा 0.09 है., 7288 रकबा 0.09 है., 7289/1 रकबा 0.03 है., 7290/1 रकबा 0.17 है. कुल किता 04 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या नया 720 में अंकित खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करने, आराजी नंबर 7290/2 रकबा 0.10 है.,

289/2 रकबा 0.13 है. कुल किता 02 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या नया 721 में अंकित खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय को सुनाया गया।